

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9 / उपांकीट०अनु०-41 / 2013
प्रेषक,

/ क०, पटना, दिनांक

अप्रैल, 2015.

धर्मेन्द्र सिंह, मा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स हिन्दुस्तान बायोटेक एण्ड केमिकल्स,
C/O-कृष्णा सीड़स, H/O- विपीन बिहारी,
संतोष अपार्टमेन्ट के सामने,
बन्दर बगीचा, पटना-800001

विषय :- कीटनाशी विपणन अनुज्ञाप्ति संख्या 93-94 दिनांक 06.02.2014 का
नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातों एवं
उप निदेशक(पौ० सं०) पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी
अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत मेसर्स हिन्दुस्तान बायोटेक
एण्ड केमिकल्स, द्वारा निर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित विपणन अनुज्ञाप्ति संख्या 93-94 दिनांक
06.02.2014 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Triazophos 40% EC	4	Phorate 10% C.G
2	Chlorpyriphos 50%+Cypermethrin 5% EC	5	Hexaconazole 5% EC
3	Tricyclazole 75% WP	6	Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC

2-उपरोक्त कीटनाशी का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली
1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:-मेसर्स हिन्दुस्तान
बायोटेक केमिकल्स द्वारा-कृष्णा सीड़स, H/O धीरज कुमार, S/O श्री ललन प्रसाद, मुहल्ला- पहाड़ी,
थाना-आलमगंज, पटना-07

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम
1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञाप्त प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं
वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक
होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा
संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7- नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा
चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

8-- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट
एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की
जाएगी।

9- कीटनाशी विपणन अनुज्ञाप्ति संख्या 93-94 दिनांक 06.02.2014 मूल रूप में संलग्न
है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।


ज्ञापांक

१९१६

/कृ०, पटना, दिनांक २० अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


कृषि निदेशक, बिहार, पटना